रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092022-238701
CG-DL-E-09092022-238701

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442]	नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 9, 2022/भाद्र 18, 1944
No. 442]	NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2022/BHADRA 18, 1944

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2022

फा. सं. स्टैंडर्ड/एसपी-08/ए-1.2021/एन-01.—खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) संशोधन विनियम, 2021 के प्रारूप को, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. फाइल सं. स्टैंडर्ड/एसपी-08/ए-1.2021/एन-01, तारीख 27 सितंबर, 2021 द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था, जिसमे उन सभी व्यक्तियों से जिनका इससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 29 सितंबर, 2021 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों पर जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत:, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्,-

1. (1) इन विनियमों का नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) प्रथम संशोधन विनियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन), विनियम, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त विनियम' कहा गया है), के,-

(1) विनियम 5 में,-

(i) उप-विनियम (3) में,-

(क) खंड (ख)(ii)(ग) में,-

(अ) दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि सैच्युरेटिड फैट और ट्रांस फैट केवल तभी दर्शाए जाएँ जब अंत्य खाद्य में कुल वसा अंश 0.5% से अधिक हो।"

(आ) दूसरे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा,-

"परंतु यह भी कि कोलेस्ट्रॉल अंश केवल उन उत्पादों के मामले में दर्शाया जाएगा जिनमें पशु मूल की वसाएँ हों तथा जिनमें कुल वसा अंश 0.5% से अधिक हो।"

(ख) खंड (ग) (xi) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्,-

"(xi) च्युइंग गम और बबल गम";

(ii) उप-विनियम (7) में, खंड (ङ) में "अनुसूची-II" शब्द और अंको के स्थान पर "अनुसूची-I" रखा जाएगा।

(iii) उप-विनियम (10) में, खंड (ख)(i) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि 3 मास से अधिक की शेल्फ लाइफ वाले उत्पादों के लिए "दि दि /मा मा/व व" प्रारूप का प्रयोग किया जा सकेगा ।"

(iv) उप-विनियम (14) में,-

(क) खंड (i) में "(धान्य के नाम के रूप में घोषित किए जाएँ)" शब्दों के पश्चात, निम्नलिखित शब्द रखे जाएँगे, अर्थात्,-

"निम्नलिखित के सिवाय,

(क) डेक्स्ट्रोज सहित गेहूँ-आधारित ग्लुकोज सिरप*;

(ख) गेहूँ-आधारित माल्टोडेक्स्ट्रिन*;

(ग) जौ-आधारित ग्लुकोज सिरप;

(घ) कृषि-मूल की एथिल एल्कोहल सहित एल्कोहलीय आसुत बनाने के लिए प्रयुक्त धान्य;

टिप्पण: *उनके उत्पादों. परन्त यह कि इन संघटकों को सुरक्षित माना गया हो तथा ग्लुटेन अंश 20 मिग्रा/किग्रा अधिक न हो।"

(ख) दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्, -

"परंतु यह और कि इन संघटकों से व्युत्पन्न तेलों ओर आसुत एल्कोहलीय बीवरेजों तथा उत्पाद के स्वयं खाद्य एलर्जेन होने की दशा में यह घोषणा अपेक्षित नहीं है।"

(2) विनियम 6 में, उप-विनियम (3) में,-

(i) सारणी-1 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्,-

सारणी 1

प्रमुख प्रदर्शन पैनल का क्षेत्र	वर्णों और अंकों की न्यूनतम ऊँचाई, मि.मी में	
	सामान्य दशा में	ब्लोन होने, साँचे में ढला होने अथवा धारक पर छिद्रित होने पर
200 सें.मी^{2} तक	1	2
200 सें.मी^{2} से अधिक और 500 सें.मी^{2} तक	2	4

500 सें.मी^{2} से अधिक और 2500 सें.मी^{2} तक	3	5
2500 सें.मी^{2} से अधिक	6	8

(ii) पहले परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"परंतु यह और कि काँच की लौटाने योग्य बोतल के क्राउन या क्लोज़र पर इन विनियमों के अधीन सभी घोषणाओं के लिए अपेक्षित अंक या अक्षर का आकार 1 मि. मी से न्यून नहीं होगा।"

(3) विनियम 8 में, उप-विनियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"(1)(क) तीस वर्ग सेंटीमीटर से कम सतही क्षेत्र वाले पैकेज पर "उत्पादन की तारीख" और "तक प्रयोग करें/समाप्ति तारीख" का उल्लेख करना अपेक्षित नहीं है, परंतु यह सूचना कई इकाइयों वाले पैकेजों पर दी जाएगी।";

(4) अनुसूची-2 में,-

(i) खंड '1' में, -

(क) उप-खंड (1) की सारणी में, क्रम संख्या '3' के स्तम्भ 3 में, परंतुक "बशर्ते कि यदि उत्पादों में कैफीन डाली गई हो तो, डाली गई कैफीन की मात्रा (पीपीएम में) भी संघटको की सूची में घोषित की जाएगी" का लोप किया जाएगा।

(ख) उप-खंड (6) में,-

(अ) "अथवा" शब्द का लोप किया जाएगा;

(आ) "प्रयोग के बाद बोतल को मरोड़ दें" शब्दों के पश्चात, "या" शब्द अंत: स्थापित किया जाएगा।

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./262/2022-23]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा. सं. 1-94/ एफएसएसएआई/एसपी(लेबलिंग)/2014 (भाग-2), तारीख 17 नवंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या द्वारा संशोधित किये गए, फा. सं. स्टैंडर्ड/एसपी-08/ए-1.2019/एन-02, तारीख 10 सितंबर, 2021.

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2022

F. No. Std/SP-08/A-1.2021/N-01.- Whereas the draft Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2021, were published as required by sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. Std/SP-08/A-1.2021/N-01, dated the 27th September, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 29th September, 2021;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of section 92 read with section 23 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Labelling and Display) First Amendment Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020 (herein after refer as said regulations), -

(1) in regulation 5, -

(i) in sub-regulation (3), -

(a) in clause (b)(ii)(C), -

(A) for second proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided that saturated fat and trans fat to be given only if total fat content is more than 0.5% in final food."

(B) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided further that cholesterol content to be given only for products containing fats of animal origin and where total fat content is more than 0.5%."

(b) for clause (c)(xi), the following shall be substituted, namely, -

"(xi) Chewing gum and bubble gum";

(ii) in sub-regulation (7), in clause (e), for the word and figures 'Schedule II', 'Schedule I' shall be substituted;

(iii) in sub-regulation (10), after clause (b)(i) the following proviso shall be inserted, namely, -

"Provided that for products with shelf life of more than three months, the "DD/MM/YY" format may also be used."

(iv) in sub-regulation (14), -

(a) in clause (i), after the words "(To be declared as name of the cereal)"; the following shall be inserted, namely, -

"except

(a) wheat based glucose syrups including dextrose*;

(b) wheat based maltodextrins*;

(c) glucose syrups based on barley;

(d) cereals used for making alcoholic distillates including ethyl alcohol of agricultural origin;

Note: * The products thereof, provided these ingredients have been assessed as safe and gluten shall not be more than 20 mg/kg."

(b) For the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided further that this declaration is not required in case of oils and distilled alcoholic beverages derived from these ingredients and where the product itself is a food allergen."

(2) in regulation 6, in sub-regulation (3), -

(i) for Table I the following Table shall be substituted, namely, -

TABLE I

Area of Principal Display Panel	Minimum Height of numeral and letter in mm	
	Normal case	When Blown, formed Moulded, or perforated on container
Upto 200 cm^2	1	2
Above 200 cm^2 upto 500 cm^2	2	4
Above 500 cm^2 upto 2500 cm^2	3	5
Above 2500 cm^2	6	8

(ii) After first proviso the following proviso shall be inserted, -

"Provided further that the size of numeral or letter required for all declarations under these regulations on the crown or closure of returnable glass bottle shall not be less than 1 mm."

(3) in regulation 8, after sub-regulation (1), the following shall be inserted, namely: -

"(1) (a) The 'date of manufacture' and 'Use by Date or Expiry Date' may not be required to be mentioned on the package having surface area of less than thirty square centimetres but this information shall be given on the multi-unit packages.;"

(4) in Schedule II, -

(i) in clause '1', -

(a) in sub-clause (1), in the Table, in serial no. '3', in column 3, the proviso "provided if caffeine is added in the products, the quantity of the added caffeine (in ppm) shall also be declared in the list of ingredients" shall be deleted.

(b) in sub- clause (6), -

(A) the word "OR" shall be omitted;

(B) after the words "CRUSH THE BOTTLE AFTER USE" the word "OR" shall be inserted.

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./262/2022-23]

Note : The principal regulation was published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, vide notification number F. No. 1-94/FSSAI/SP(Labelling)/2014 (Pt-2), dated the 17th November, 2020 and subsequently amended vide notification numbers. F. No. Std/SP-08/A-1.2019/N-02, dated the 10th September, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA